"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2007-2009."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 7] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 12 फरवरी 2010— माघ 11, शक 1931

भाग 3 (1)

विविध

आयुक्तों तथा जिलाध्यक्षों की सूचनाएं

कार्यालय कलेक्टर बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 5 जनवरी 2010

क्रमांक/50/अ. व. लि. /2010.—छत्तीसगढ़ शासन सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-2 अनुक्रमांक 4 के नियम 8 एवं छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-3-2/1999/1/4 दिनांक 30-03-1999 में विहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, सोनमणी बोरा, कलेक्टर बिलासपुर वर्ष 2010 हेतु बिलासपुर जिले के लिए निम्नलिखित तिथियों/दिनों के समक्ष अंकित पर्व/त्यौहार के लिए स्थानीय अवकाश घोषित करता हूं :-

अनुक्रमांक (1)	पर्व/त्यौहार का नाम (2)	तिथि/माह (3)	दिन (4)
1.	सर्व पितृमोक्ष (अमावस्या)	7 अक्टूबर	गुरुवार
2.	दशहरा महाष्टमी	15 अक्टूबर	शुक्रवार
3.	दीपावली का दूसरा दिन (अन्नकूट गोवर्धन पूजा)	6 नवम्बर	शनिवार

सोनमणी बोरा,
कलेक्टर.

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 12 जनवरी 2010

छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18 (1)(2) के अन्तर्गत

क्रमांक/परिसमापन/2010/58.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक /परिसमापन/ /बिलासपुर, दिनांक.............. के तहत लाखसारा मछुआ सहकारी समिति मर्यादित, खुड़िया, पंजीयन क्रमांक 2996 दिनांक 5-3-73, विकासखण्ड लोरमी, जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के तहत श्री .... सहकारिता विस्तार अधिकारी, लोरमी को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन का सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं एन. कुजूर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी. दिनांक 26-7-1999 के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18(1)(2) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 12-1-2010 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 12 जनवरी 2010

छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18 (1)(2) के अन्तर्गत

क्रमांक/परिसमापन/2010/59.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक /परिसमापन/ /बिलासपुर, दिनांक.............. के तहत जनता मछुआ सहकारी समिति मर्यादित, खुड़िया, पंजीयन क्रमांक 3094 दिनांक 24-3-97, विकासखण्ड लोरमी, जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के तहत श्री .... सहकारिता विस्तार अधिकारी, लोरमी को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन का सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं एन. कुजूर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी. दिनांक 26-7-1999 के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18(1)(2) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 12-1-2010 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 20 जनवरी 2010

क्र./परिसमापन/2007/121.—पंजीयन क्रमांक 136 दिनांक .... को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक .... दिनांक .... द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-07-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं, एन. कुजूर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर............. को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री टी. टोप्पो, उप अंकेक्षक, कार्यालय सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएं बिलासपुर को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 21 जनवरी 2010

क्र./परिसमापन/2007/2010/125.—पंजीयन क्रमांक 3948 दिनांक 25-2-2000 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 1167 दिनांक 22-7-09 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-07-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं, एन. कुजूर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर सामूहिक मत्स्यो. सह. समि., लाखासार को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री सहकारिता विस्तार अधिकारी लोरमी को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 21 जनवरी 2010

क्र./परिसमापन/2007/2010/125.—पंजीयन क्रमांक 229 दिनांक 13-12-05 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 11-8-09 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-07-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं, एन. कुजूर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छत्तीसगढ़ महिला बहुउद्देशीय सह. समि., सलका को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री सहकारिता विस्तार अधिकारी बिल्हा को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 21 जनवरी 2010

क्र./परिसमापन/2007/2010/126.—पंजीयन क्रमांक 3955 दिनांक 13-7-2000 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 1164 दिनांक 22-7-09 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-07-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं, एन. कुजुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर शक्ति मछुआ सह. समिति मर्या., सेवार को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री सहकारिता विस्तार अधिकारी बिल्हा को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 21 जनवरी 2010

क्र./पारसमापन/2007/2010/127.—पंजीयन क्रमांक 3678 दिनांक 23-8-95 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 1168 दिनांक 23-7-09 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-07-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं, एन. कुजूर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर आदिवासी मछुआ सहकारी समिति झिरनापोड़ी को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री सहकारिता विस्तार अधिकारी मरवाही को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 21 जनवरी 2010

क्र./परिसमापन/2007/2010/128.—पंजीयन क्रमांक 3155 दिनांक 26-10-85 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 1299 दिनांक 4-8-09 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-07-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं, एन. कुजूर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर दुग्ध उत्पादक सह. समिति मर्या., चंदली को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री सहकारिता विस्तार अधिकारी लोरमी को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 21 जनवरी 2010

क्र./परिसमापन/2007/2010/129.—पंजीयन क्रमांक 3857 दिनांक 2-5-07 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 1295 दिनांक 4-8-09 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-07-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं, एन. कुजूर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर अम्बा मछुआ सह. समिति मर्या., बिटकुली को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री सहकारिता विस्तार अधिकारी बिल्हा को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 21 जनवरी 2010

क्र./परिसमापन/2007/2010/130.—पंजीयन क्रमांक 3727 दिनांक 18-4-96 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 1290 दिनांक 4-8-09 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-07-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं, एन. कुजूर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर दुग्ध उत्पादक सह. समिति मर्या., मुछेल को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री सहकारिता विस्तार अधिकारी लोरमी को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 21 जनवरी 2010

क्र./परिसमापन/2007/2010/131.—पंजीयन क्रमांक 171 दिनांक 4-7-09 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 1165 दिनांक 22-7-09 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अतः संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-07-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं, एन. कुजूर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर कोटेश्वर महादेव साख सह. समिति, कोटा को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री सहकारिता विस्तार अधिकारी कोटा को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 21 जनवरी 2010

क्र./परिसमापन/2007/2010/132.—पंजीयन क्रमांक 3217 दिनांक 12-9-89 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 1296 दिनांक 4-8-09 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अतः संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-07-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं, एन. कुजूर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर ईधन पूर्ति श्रमिक सह. समिति, तारबहार को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री अरूण कुमार शर्मा, सह. निरी. बिलासपुर को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 21 जनवरी 2010

क्र./परिसमापन/2007/2010/133.—पंजीयन क्रमांक 172 दिनांक 6-10-04 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 1297 दिनांक 4-8-09 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अतः संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-07-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं, एन. कुजूर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर महिला बहु. सह. समिति मर्या., खैरा को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री सहकारिता विस्तार अधिकारी, कोटा को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 21 जनवरी 2010

क्र./परिसमापन/2007/2010/134.—पंजीयन क्रमांक 175 दिनांक 6-10-04 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 1309 दिनांक 4-8-09 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अतः संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-07-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं, एन. कुजूर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर लक्ष्मी महिला बहु. सहकारी समिति, मोहदा को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री सहकारिता विस्तार अधिकारी, कोटा को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अंतर्गत परि ापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 21 जनवरी 2010

क्र./परिसमापन/2007/2010/135.—पंजीयन क्रमांक 102 दिनांक 20-10-2000 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 1307 दिनांक 4-8-09 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-07-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं, एन. कुजूर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर आदर्श बहुउद्देशीय सहकारी समिति, वेदपरसदा को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री सहकारिता विस्तार अधिकारी, मस्तूरी को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 21 जनवरी 2010

क्र./परिसमापन/2007/2010/136.—पंजीयन क्रमांक 3725 दिनांक 28-4-96 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 1181 दिनांक 27-7-09 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-07-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं, एन. कुजूर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., साल्हेघारी को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री सहकारिता विस्तार अधिकारी, लोरमी को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 21 जनवरी 2010

क्र./परिसमापन/2007/2010/137.—पंजीयन क्रमांक 3732 दिनांक 18-4-96 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 1186 दिनांक 23-7-09 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-07-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं, एन. कुजूर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या.. विचारपुर को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री सहकारिता विस्तार अधिकारी, लोरमी को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 21 जनवरी 2010

क्र./परिसमापन/2007/2010/138.—पंजीयन क्रमांक 3696 दिनांक 1-10-96 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 1187 दिनांक 23-7-09 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-07-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं, एन. कुजूर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर आदर्श खनिज सहकारी समिति, अमरी अकबरी को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री सहकारिता विस्तार अधिकारी, बिल्हा को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 21 जनवरी 2010

क्र./परिसमापन/2007/2010/139.—पंजीयन क्रमांक 3148 दिनांक 26-10-85 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 1188 दिनांक 23-7-09 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-07-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं, एन. कुजूर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर दुग्ध सहकारी समिति मर्या., देवरी को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री सहकारिता विस्तार अधिकारी, मुंगेली को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 21 जनवरी 2010

क्र./परिसमापन/2007/2010/140.—पंजीयन क्रमांक 230 दिनांक 20-01-06 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 1300 दिनांक 4-8-09 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-07-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं, एन. कुजूर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर कृषक कल्याण संस्था सहकारी समिति मर्या., लोरमी को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री सहकारिता विस्तार अधिकारी, लोरमी को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 21 जनवरी 2010

क्र./परिसमापन/2007/2010/141.—पंजीयन क्रमांक 3550 दिनांक 20-10-94 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 1189 दिनांक 23-7-09 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-07-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं, एन. कुजूर ,सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर नवयुवक म[illegible] सह. समिति मर्या., अकलतरी को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री सहकारिता विस्तार अधिकारी, बिल्हा को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 21 जनवरी 2010

क्र./परिसमापन/2007/2010/142.—पंजीयन क्रमांक 225 दिनांक 8-9-05 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 1191 दिनांक 23-7-09 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-07-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं, एन. कुजूर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर एकता मछुआ सहकारी समिति मर्या., पेंडरवा को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री सहकारिता विस्तार अधिकारी, बिल्हा को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 21 जनवरी 2010

क्र./परिसमापन/2007/2010/143.—पंजीयन क्रमांक 219 दिनांक 11-4-85 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 1302 दिनांक 4-8-09 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-07-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं, एन. कुजूर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर चंदा महिला सहकारी समिति मर्या., कछार (अमतरा) को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री सहकारिता विस्तार अधिकारी, बिल्हा को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 21 जनवरी 2010

छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18 (1)(2) के अन्तर्गत

क्रमांक/परिसमापन/2010/153.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक/परिसमापन/ /बिलासपुर, दिनांक .... के तहत खुड़िया मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्यादित, खुड़िया, पंजीयन क्रमांक 2525 दिनांक 16-6-59, विकासखण्ड लोरमी, जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के तहत श्री .... सहकारिता विस्तार अधिकारी, लोरमी को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन का सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं एन. कुजूर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी. दिनांक 26-7-1999 के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18(1)(2) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 21-1-2010 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

एन. कुजूर,
सहायक पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2010.